

प्रेषक,

आत्मोक नुगार चैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

संवादमें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल,
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।

कार्मिक विभाग-२

देहरादून: दिनांक: ०२ - १ - २००३

विषय: चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निरेश हुआ है कि अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली 1985 के नियम-६ में की गई व्यवस्था के अनुसार चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के हाई स्कूल अधिकारी उसके समकक्ष परीक्षा धारण करने वाले कर्मचारियों तथा इण्टरमीडिएट अधिकारी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने ०५ वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, को तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के न्यूनतम श्रेणी की लिपिक वर्गीय पदों में क्रमशः १५ प्रतिशत तथा ०५ प्रतिशत, कुल २० प्रतिशत पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जाने जी पूर्व में व्यवस्था की गयी है।

2. चूंकि इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण समूह 'घ' के कर्मचारियों की संख्या में पूर्व की अपेक्षा गुणात्मक रूप से बढ़ि हुई है अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित रूप से विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों में चतुर्थ श्रेणी समूह 'घ' के इण्टरमीडिएट तथा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे कर्मचारियों, जिन्होंने ५ वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली, को उपर्युक्त लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति में १० प्रतिशत स्थान नियत किये जायें। इस प्रकार समूह 'घ' से समूह 'ग' में लिपिक वर्गीय पदों पर पदोन्नति का कोटा २५ प्रतिशत होगा, जिसमें इण्टरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आग्र अध्यर्थियों हेतु १० प्रतिशत तथा हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अध्यर्थियों हेतु १५ प्रतिशत कोटा होगा।

4. अतः अनुरोध है कि भविष्य में तृतीय श्रेणी (समूह 'ग') के लिपिक वर्गीय पदों में पदोन्नति के अवसर पर निम्नलिखित निरेशों का अनुसालन करते हुए शासन के उपरोक्त मिर्य का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

- (1) पदोन्नतियों के समय आरक्षित वर्ग की श्रेणी के अध्यर्थियों के लिए प्रभावी आदेशों के अनुसार कार्यधारी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) पदोन्नति के पदों पर टकण के ज्ञान के सम्बन्ध में लागू बर्तमान नियम/आदेश प्रश्नगत अध्यर्थियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगे।

5. युझे यह भी कहने का निरेश हुआ है कि समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदोन्नति के कोटे के पदों के विरुद्ध सरकारी सेवक के मृतक आश्रित के परिवार के सदस्य की नियुक्ति न की जाये। मृतक सरकारी सेवक के आश्रितों की नियुक्ति सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध ही की जायेगी।

भवदीब,

Mot Jai
 (आलोक कुमार जौन)
 सचिव।